138

संख्या– /xxiv (7) 92(2)/2008

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–2012 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में विज्ञान लैब की स्थापना एवं टूटी दीवारों का निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 507/xxiv(7)/2008 दिनांक 15.03.2010 एवं आपके पत्र संख्या डिग्री बजट/7579/2011–12 दिनांक 18.08.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर के विज्ञान लैब एवं टूटी दीवारों के निर्माण कार्यो हेतु अनुमोदित धनराशि रु. 183.35 लाख के सापेक्ष अवशेष रु. 20.41 लाख की धनराशि (रु0 बीस लाख इक्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष रू. 10.00 लाख की धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा कार्यदायी संस्था को तब स्वीकृत की जायगी जब योजना का तृतीय पक्ष से गुणवत्ता (Third party quality) परीक्षण करा लिया जायेगा। निदेशक कार्य से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त करेगें।

3– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग तथा इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध

.....2/

एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

6– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सी0बी0आर0आई0 रुडकी से सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। तृतीय पक्ष गुणवत्ता की विस्तृत सूचना उपलब्ध होने पर अंतिम अवशेष किस्त का भुगतान किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत–04–राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन कय–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 191/(p)/xxvii(3)/2010 दिनांक 27 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

सं0 2037 (1)/ xxiv (7) 92(2)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल।
3– जिलाधिकारी बागेश्वर।
4– कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5– अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर ।
6– प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर।
7– निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
9– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव